

**कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2
नई टिहरी**

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

दिनांक- / /2021

पत्रांक:- /पी0-सिं0ख0-2/
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी, वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषय :- जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सौदकोटी-लामकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.14 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध (Online proposal no. FP/UK/ROAD/30385/2017)

संदर्भ- आपका पत्रांक संख्या- 101/12-1 (2) नई टिहरी दिनांक- 08.05.2018।

महोदया,

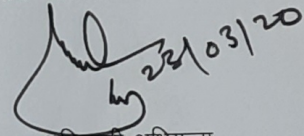
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड चम्बा में बादशाहीथौल से सौदकोटी-लामकोट मोटर मार्ग वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, का पत्र सं०-292/X-4-18/1(66), दिनांक 27.04.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। अधिरोपित शर्तों के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0-2 नई टिहरी द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जा रहा है:-

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन
1	शर्त संख्या 01 प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण (पथ वृक्षारोपण) एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि मु०- 37,08,215.00 (सैंतीस लाख आठ हजार दो सौ पंद्रह रु० मात्र) जमा किया जायेगा।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में रु० 11,07,242.00 (ग्यारह लाख चात हजार दो सौ बयालीस रु० मात्र) जमा किया गया है। (प्रति संलग्न)
2	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि मु०-91,980.00 (इकानबे हजार नौ सौ अस्सी रुपये मात्र) जमा किया जायेगा।	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में रु० 91,980.00 (इकानबे हजार नौ सौ अस्सी रुपये मात्र) दिनांक 25.06.2018 को जमा किया जा चुका है। (प्रति संलग्न)
3	प्रतिपूरक वनीकरण: शर्त संख्या-3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में एन०पी०वी० की दर में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
4	शर्त संख्या 04 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का	शर्त संख्या-04 के अनुपालन में एन०पी०वी० एवं पथ वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने की प्रति संलग्न की गयी है।

	मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आसपास वृक्षारोपण (पथ वृक्षारोपण) तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया है। उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	शर्त संख्या 05- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या-05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
6	शर्त संख्या 06- प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध किय जाने का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	शर्त संख्या 07- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त संख्या 07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
7	शर्त संख्या 08- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या 08 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाय।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है, एवं निवेदन है कि बादशाहीथौल से सौदकोटी-लामकोट मोटर मार्ग पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर खण्ड को सूचित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

 23/03/20

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी

पत्रांक:- /पी0-सि0ख0-2/ /तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फोरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त, लो0नि0वि0 मसूरी।
3. सहायक अभियन्ता-प्रथम, पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0-2, नई टिहरी।

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी

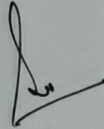
परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सौंदकोटी-लामकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अनुमति प्रमाण पत्र

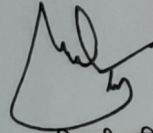
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित चम्बा विकासखण्ड में बादशाहीथौल से सौंदकोटी-लामकोट मोटर मार्ग पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

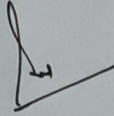
परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सौंदकोटी-लामकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वचन बद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिसासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सौंदकोटी-लामकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

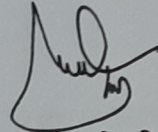
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित चम्बा विकासखण्ड में बादशाहीथौल से सौंदकोटी-लामकोट मोटर मार्ग पर जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

rediffmail

Mailbox of eepmgsytehri2

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Mon, 25 Jun 2018 17:31:31

To: eepmgsytehri2@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that the details of the funds submitted by User Agency against the proposal given below, has been verified by Nodal Officer and found to be incorrect. After making corrections, kindly resubmit it.

Proposal Detail

- | | |
|---|--|
| 1. Proposal No. | : FP/UK/ROAD/30385/2017 |
| 2. Proposal Name | : Badshahithaul to saundkoti Lamkot Motor Road |
| 3. Category of the Proposal | : Road |
| 4. Date of In-principle | : 22/11/2017 |
| 5. Name of the Applicant with Contact Details | |

Name	: PMGSY ID IIND NEW TEHRI
Mobile No.	: 9412971613
Email ID	: eepmgsytehri2@rediffmail.com
State	: Uttarakhand
District	: Tehri Garhwal
Pincode	: 249001

Funds Demand Details

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 2. Additional Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 3. Penal Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 4. Catchment Area Treatment | : Rs. 0/- |
| 5. Safety Zone | : Rs. 0/- |
| 6. Additional Charges for protected area | : Rs. 0/- |
| 7. Net Present Value (NPV) | : Rs. 91980/- |
| 8. road side blank Plantation | : Rs. 1107242/- |
| 9. Other Charges1 | : Rs.0/- |
| 10. Other Charges2 | : Rs.0/- |
| 11. Other Charges3 | : Rs.0/- |
| Total Amount | : Rs. 1199222/- |

(System Administrator)

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

अप्रैल

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 27 मार्च, 2018

विषय: जनपद-टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सौदाकोटी-लामकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.14 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3060/FP/UK/ROAD/29735/2017 दिनांक 03 मार्च, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सौदाकोटी-लामकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.14 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यलय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

श्री रावत

आ. वकील

हस्ताक्षर

27.03.2018/नोडल
4-5-18

6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,
(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 292 (1) / X-4-18 / 1(66) / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनीकीरेती।
4. जिलाधिकारी, टिहरी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी।
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 टिहरी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।